

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ ४ (९८) आकाशि / नि.सं. / २०१० / २६३  
आदेश

दिनांक: ३०-११-१५

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुगोदन के आधार पर अकादमी सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.सं.	पत्रा.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध किशवविद्यालय	विषय/संकाय
१	९८	श्रीमती पानादेवी रामेश्वर लाल शर्मा कॉलेज चिडावा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्ण आवृत्ति संकाय विषय

१. सम्बद्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का विधि लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
२. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अईटीआरी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों को पालना करेगी।
३. राज्य सरकार संस्था को दर्तामान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
४. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
५. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, १९८९ तथा तत्सम्बन्धी नियम १९९३ के तभी उपलब्धों की निरित्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
६. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
७. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
८. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
९. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
१०. संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
११. संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस Website address की सूचना देगी।
१२. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [eishe.nic.in](http://eishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) फॉर्म अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy अग्रामी १५ दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास नंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
१३. संस्था द्वारा एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / रोवरिंग एवं रेजिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस. कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से भिजवायेगे।
१४. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा गहाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा गहाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहे गया अभिलेख उपलब्ध करावेगा।
१५. संकाय / विषयवार स्टीटो का आवंटर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जावेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या/सीमा में ही प्रवेश दिया जावेगा।
१६. राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति २०१५-१६ तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
१७. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

आयुक्ता,  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही अनुसूचित है-

१. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
२. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
३. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
४. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
५. सचिव सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
६. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
७. रक्षित पत्रावली।

विनाप कुमार  
जागत-निटेशन (निरसन) ३०-११-१५